

82
18

कमील नष्टी उपर/ वंशी का दावा डिप्टी किया जाता है।
निम्निय प्रथक से खिरजा लाकर शामिल करवा
किया गया। फावर्स जैसल भूकार होकर काड
कमील दाखल दाखिल की जावे।

उप जिल्ला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालया उपा जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. सूबेदार पुत्र सम्पत्ति,
2. राय सिंह पुत्र सम्पत्ति,
3. मनोहरी पुत्री सम्पत्ति,
4. इन्द्रा पुत्री सम्पत्ति,
5. बच्ची पुत्री सम्पत्ति,
6. केशन्ता पुत्री सम्पत्ति,

जाति गुर्जर निवासी हाल हबीबपुर, तहसील गंगापुर सिटी,,

वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,


प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी

राजस्व वाद संख्या 103/2017

वादी स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। इस वाद में आज दिनांक 2/2/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 420 रकवा 0.03 हैक्टेयर, 421 रकवा 0.19 हैक्टेयर, 462 रकवा 0.18 हैक्टेयर, 468 रकवा 0.48 हैक्टेयर, 470 रकवा 0.56 हैक्टेयर, 481 रकवा 0.30 हैक्टेयर कुल कित्ता 6 रकवा 1.74 हैक्टेयर स्थित ग्राम लाड़पुरा एवं खसरा नम्बर 422 रकवा 0.55 हैक्टेयर, 423 रकवा 0.38 हैक्टेयर, कुल कित्ता 2 रकवा 0.93 हैक्टेयर में से ग्यारसी के 1/3 हिस्से का तथा खसरा नम्बर 419 रकवा 0.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 429 स्थित ग्राम लाड़पुरा का खातेदार घोषित किया


उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)



जाता है ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक
8/2/2018 को जारी की गई ।




उप-जिला कलेक्टर
बामनवास (म० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास